न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
(अरूण कुमार हसीजा, आई0ए0एस0, जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
पंचायत रिवीजन संख्याः 12/2019
दायर दिनांकः 03.06.2019
निर्णय दिनांक 22.05.2026

—: अनवान :—

धर्मराज पिता स्व0 भंवरलाल जी पाराशर ब्राहम्ण आयु 52 वर्ष निवासी खमनोर तहसील खमनोर, जिला राजसमन्द जरिये सामान्य अधिकार पत्र धारक श्रीमती पुष्पा पत्नी धर्मराज जी पाराशर आयु 48 वर्ष निवासी खमनोर जिला राजसमन्द

— निगराकार

बनाम

1. गुलाब जल, ईत्र उत्पादक सहकारी सहमति खमनोर (रजिस्टर्ड नम्बर — 528 वाई से.टे. नम्बर — 703/10)
2. शिवलाल पिता श्री मोहनलाल जी जाति माली आयु 59 वर्ष निवासी शाही बाग खमनोर तहसील खमनोर अध्यक्ष गुलाब जल, ईत्र उत्पादक सहकारी सहमति खमनोर (रजिस्टर्ड नम्बर — 528 वाई से.टे. नम्बर — 703/10)
3. सत्यनारायण पिता चुन्नीलाल जी ब्राहम्ण (मंत्री गुलाब जल, ईत्र उत्पादक सहकारी समिति खमनोर) आयु 68 वर्ष निवासी ब्रहम्पूरी खमनोर जिला राजसमन्द
4. ख्यालीलाल पिता भंवरलाल जी. कोठारी आयु 57 वर्ष निवासी मोलेला तहसील खमनोर जिला राजसमन्द
5. सुजीतसिंह पिता हीरसिह जी जाति राजपूत आयु 27 वर्ष निवासी — रत्नावतों की भागल, गाँवगुडा तहसील खमनोर जिला राजसमन्द
6. ग्राम पंचायत खमनोर, जरिये सरपंच ग्राम पंचायत खमनोर तहसील खमनोर जिला राजसमन्द

— गैर निगराकारगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम

उपस्थित :—

1. श्री मुकेश तलेसरा, अधिवक्ता प्रार्थी/निगराकार
2. श्री संजय माण्डोत, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 से 04
3. श्री रामलाल जाट, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 06
4. अप्रार्थी संख्या 05 अनुपस्थित (एकपक्षीय कार्यवाही)

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

:: निर्णय ::

प्रकरण के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि निगराकार ने निगरानी याचिका ग्राम पंचायत खमनोर द्वारा जारी पट्टा दिनांक 13.06.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम खमनोर में मुख्य आंबादी में पंचायत समिति रोड खमनोर के पूर्व दिशा में आराजी संख्या–559 किस्म आबादी स्थित है। उक्त भूमि में रेस्पोडेन्ट संख्या 6 द्वारा ग्राम पंचायत खमनोर की बेशकीमती भूमि का रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में दिनांक 13.06.2018 को राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 के नियम–157 के तहत एक पट्टा संख्या 18 विधि विरूद्ध तरीके से जारी किया गया। उक्त पट्टे में विपक्षी संख्या 6 द्वारा उत्तर दिशा का पडोस भी गलत अंकित किया गया है और विपक्षी संख्या 6 ने मौके की वास्तविक स्थिति की जाँच किये बिना विपक्षी संख्या 1, 2, 3 से मिलीभगत कर आनन–फानन में अवैध रूप से लाभान्वित करने की नियत से उक्त पट्टा जारी कर दिया गया, जबकि उक्त पट्टे में दक्षिण दिशा का पडोस–हनुमान जी का मन्दिर, हनुमान टेकरी से उत्तर की 40 फीट नाप दर्शाया गया है, जबकि मौके पर पंचायत की रिक्त भूमि को भी विपक्षी संख्या 1, 2, 3 ने अवैध अतिक्रमण कर उक्त अवैध पट्टे की आड में विपक्षी संख्या 01 ने जरिये अध्यक्ष एवं मंत्री विपक्षी संख्या 2 व 3 द्वारा उक्त भूमि को दिनांक 13.7.2018 को विपक्षी संख्या 4 एवं 5 को विक्रय कर दी और विपक्षी संख्या 4 व 5 द्वारा उक्त भूमि पर तथा पंचायत की रिक्त पडी भूमि पर भी अवैध रूप से अतिक्रमण कर व्यवसायिक दुकाने निर्मित करना प्रारम्भ कर दिया। उक्त अवैध पट्टे एवं विकय पत्र की आड में विपक्षी संख्या 4 व 5 द्वारा प्रार्थी के मकान के दक्षिण दिशा में उसके स्वंय द्वारा छोडी गई भूमि पर भी अवैध रूप से अतिक्रमण करने का प्रयास किया गया। उक्त पट्टा संख्या 18 दिनांक 13.06.2018 विधि विरूद्ध होकर उक्त पट्टा निरस्त होने योग्य है, क्योकि उक्त पट्टा जारी करते समय पट्टे में वर्णित भूमि पर विपक्षी संख्या 01 का कोई निर्माण नहीं था और ग्राम पंचायत द्वारा अवैध तरीके से उक्त पट्टा जारी किया गया है और ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे में उत्तर दिशा की ओर प्रार्थी की स्वंय की खातेदारी की भूमि में आम रास्ता दर्शा दिया गया है ओर विपक्षी संख्या 6 ने बिना कोई विधिवत् पटवारी रिपोर्ट प्राप्त किये उक्त पट्टा जारी किया है जो निरस्त होने योग्य है। प्रार्थी के द्वारा उसके मकान के दक्षिण दिशा में स्वंय के खातेदारी की भूमि में आने–जाने हेतु 10 फीट का रास्ता स्वंय के लिये छोड़ा गया है, जिसके पश्चिमी मुहाने पर प्रार्थी की लोहे की फाटक लगी हुई है। दिनांक 05.09.2018 एवं दिनांक 01.12.2018 को विपक्षी संख्या 4 व 5 को विपक्षी संख्या 6 ने सूचना पत्र दिया और विपक्षी संख्या 6 ने इस संबध में आगे कोई कार्यवाही नहीं की इससे स्पष्ट है कि विपक्षी संख्या 6 शेष विपक्षीगण से मिलीभगत कर रखी है। उक्त अवैध पट्टे से न केवल प्रार्थी के अधिकार प्रभावित हो रहें है वरन नियम विरूद्ध पट्टा जारी कर विपक्षी संख्या 6 ने राजकोष को भी हानि पहुँचाई है, जिससे उक्त पट्टा निरस्त होने योग्य है। अतः प्रार्थना है कि निगरानी स्वीकार फरमावें तथा विपक्षी संख्या 6 द्वारा विपक्षी संख्या 01 के पक्ष में दिनांक 13.06.2018 को पट्टा संख्या 18 जारी किया गया है, उसे निरस्त फरमायें।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

प्रार्थी/निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण/गैर निगराकार को जरिये नोटिस सूचित किया गया। अप्रार्थी संख्या 02 से 04 की ओर से अधिवक्ता श्री संजय माण्डोत द्वारा वकालतनाम प्रस्तुत कर उपस्थिति दी। अप्रार्थी संख्या 06 की ओर से अधिवक्ता श्री रामलाल जाट द्वारा वकालतनाम प्रस्तुत कर उपस्थिति दी। अप्रार्थी संख्या 05 के बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश पारित किया गया तथा ग्राम पंचायत खमनोर से मूल पट्टा पत्रावली तलब की गयी।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि ग्राम खमनोर में मुख्य आंबादी में पंचायत समिति रोड खमनोर के पूर्व दिशा में आराजी संख्या–559 किस्म आबादी स्थित है। उक्त भूमि में रेस्पोडेन्ट संख्या 6 द्वारा ग्राम पंचायत खमनोर की बेशकीमती भूमि का रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में दिनांक 13.06.2018 को राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 के नियम–157 के तहत एक पट्टा संख्या 18 विधि विरूद्ध तरीके से जारी किया गया। उक्त पट्टे में विपक्षी संख्या 6 द्वारा उत्तर दिशा का पडोस भी गलत अंकित किया गया है और विपक्षी संख्या 6 ने मौके की वास्तविक स्थिति की जाँच किये बिना विपक्षी संख्या 1, 2, 3 से मिलीभगत कर आनन–फानन में अवैध रूप से लाभान्वित करने की नियत से उक्त पट्टा जारी कर दिया गया, जबकि उक्त पट्टे में दक्षिण दिशा का पडोस–हनुमान जी का मन्दिर, हनुमान टेकरी से उत्तर की 40 फीट नाप दर्शाया गया है, जबकि मौके पर पंचायत की रिक्त भूमि को भी विपक्षी संख्या 1, 2, 3 ने अवैध अतिक्रमण कर उक्त अवैध पट्टे की आड में विपक्षी संख्या 01 ने जरिये अध्यक्ष एवं मंत्री विपक्षी संख्या 2 व 3 द्वारा उक्त भूमि को दिनांक 13.7.2018 को विपक्षी संख्या 4 एवं 5 को विक्रय कर दी और विपक्षी संख्या 4 व 5 द्वारा उक्त भूमि पर तथा पंचायत की रिक्त पडी भूमि पर भी अवैध रूप से अतिक्रमण कर व्यवसायिक दुकाने निर्मित करना प्रारम्भ कर दिया। उक्त अवैध पट्टे एवं विकय पत्र की आड में विपक्षी संख्या 4 व 5 द्वारा प्रार्थी के मकान के दक्षिण दिशा में उसके स्वंय द्वारा छोडी गई भूमि पर भी अवैध रूप से अतिक्रमण करने का प्रयास किया गया। उक्त पट्टा संख्या 18 दिनांक 13.06.2018 विधि विरूद्ध होकर उक्त पट्टा निरस्त होने योग्य है, क्योकि उक्त पट्टा जारी करते समय पट्टे में वर्णित भूमि पर विपक्षी संख्या 01 का कोई निर्माण नहीं था और ग्राम पंचायत द्वारा अवैध तरीके से उक्त पट्टा जारी किया गया है और ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे में उत्तर दिशा की ओर प्रार्थी की स्वंय की खातेदारी की भूमि में आम रास्ता दर्शा दिया गया है ओर विपक्षी संख्या 6 ने बिना कोई विधिवत् पटवारी रिपोर्ट प्राप्त किये उक्त पट्टा जारी किया है जो निरस्त होने योग्य है। अतः प्रार्थना है कि निगरानी स्वीकार फरमावें तथा विपक्षी संख्या 6 द्वारा विपक्षी संख्या 01 के पक्ष में दिनांक 13.06.2018 को पट्टा संख्या 18 जारी किया गया है, उसे निरस्त फरमायें।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02 से 04 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वास्तविक तथ्य यह है कि ग्राम पंचायत खमनोर द्वारा गुलाब जल, इत्र उत्पादक सहकारी समिति खमनोर द्वारा दिनांक 31.01.1970 को आवेदन करने पर दिनांक

03.01.1971 को सम्पूर्ण जांच उपरांत समिति के पक्ष में पट्टा जारी किया गया। उक्त पट्टा गुम हो जाने पर ग्राम पंचायत खमनोर द्वारा समिति के पक्ष में नियमानुसार राशि जमा कर नवीनीकरण पट्टा जारी किया गया। मूल पट्टा दिनांक 03.01.1971 को जारी किया गया था। विपक्षीगण द्वारा दिनांक 09.07.2018 को दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर में विधिवत रूप से जरिये अधिवक्ता आपत्ति आहूत कर उक्त भूखंड का विधिवत पंजीयन करवाया गया। विपक्षीगण द्वारा दिनांक 30.07.2018 को निर्माण की स्वीकृति प्रदान करने वाली सक्षम संस्था से नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त कर निर्माण कार्य कराना प्रारंभ किया। वर्तमान में दो मंजिल निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। प्रार्थी ने इस सम्बंध में पूर्व में माननीय सिविल न्यायाधीश महोदय, नाथद्वारा के समक्ष भी इस विवादग्रस्त सम्पत्ति के सम्बंध में सिविल वाद स्थाई निषेधाज्ञा एवं आदेशात्मक आज्ञा का प्रस्तुत किया। जिसका अनवान धर्मराज बनाम ख्यालीलाल व अन्य मुकदमा नं. 23/19 ई. दी. होकर इसके साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसके मुकदमा 20/19 मु.दी. होकर उक्त प्रार्थना पत्र 24.02.2019 को प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थी द्वारा मांगी गई मनचाहा अनुतोष प्रदान नहीं करने पर एवं न्यायालय से सहायता नहीं मिलने से असफल होकर विपक्षीगण को परेशान एवं प्रताडित करने के लिये गलत आधारों पर आप न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। जो काबिल निरस्त योग्य है। विपक्षीगण वैध स्वीकृति प्राप्त अपनी सम्पत्ति पर निर्माण कराने के पूर्ण अधिकारी है। प्रार्थी का उक्त भूखंड पर किसी प्रकार का कोई हक व अधिकार नहीं है। प्रार्थी द्वारा बिना आप न्यायालय श्रीमान् की स्वीकृति प्राप्त किये पॉवर ऑफ एटोर्नी के जरिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। जो चलने योग्य नहीं है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका सव्यय खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की बहस पर गहन मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। यह निगरानी ग्राम पंचायत खमनोर द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के उपनियम 157 (क)/(ख) के तहत अप्रार्थी संख्या एक गुलाब जल इत्र उत्पादक सहकारी समिति, खमनोर के पक्ष में जारी किए गए आवासीय पट्टे दिनांक 13.06.2018 के विरुद्ध जारी की गई है। ग्राम पंचायत खमनोर द्वारा यह पट्टा पंचायती राज नियम 1996 के उपनियम 157 के तहत प्रारूप 23 क में जारी किया गया है। यहाँ पर हम सर्वप्रथम इस उपनियम की व्याख्या करना उचित समझते हैं, जो कि निम्न प्रकार है। राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 का मुख्य उद्देश्य पैतृक मकानों का नियमितीकरण है। इस नियम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले उन नागरिकों को मालिकाना हक देना होता है, जो दशकों से अपने पैतृक मकान में रह रहे होते हैं, लेकिन उनके पास कोई औपचारिक विधिक पट्टा उपलब्ध नहीं होता है। इस पट्टे को प्राप्त किए जाने के लिए सर्वप्रथम आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, वार्ड पंचों की समिति का गठन किया जाता है, मौका निरीक्षण किया जाता है, आपत्तियों का आह्वान किया जाता है, आपत्तियों का निस्तारण किया जाता है, पटवारी की रिपोर्ट प्राप्त की जाती है और यह सभी प्रक्रियाएं पूर्ण होने के बाद ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव लेकर और

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

कब्जाधारी के पक्ष में पट्टा जारी किया जाता है। इस प्रकरण में नियम 157 के तहत यह पट्टा गुलाब जल इत्र उत्पादक सहकारी समिति, खमनोर को दिया गया है। गुलाब जल इत्र उत्पादक सहकारी समिति एक सहकारी संस्था होती है, जो कि राजस्थान संस्था अधिनियम के तहत रजिस्ट्रार द्वारा पंजीकृत होती है। यह इस समिति का कोई पैतृक मकान हो तथा वर्षों से उसमें कोई निवास कर रहा हो, यह मानने योग्य तथ्य नहीं होता है, क्योंकि यह समिति कोई व्यक्ति नहीं होता है जो निवास करता है, जबकि इस समिति का गठन तो मात्र व्यावसायिक उद्देश्य से किया जाता है कि जो गुलाब जल से इत्र बनाने वाले उत्पादक हैं, वो सहकारिता के आधार पर एक समिति बनाते हैं तथा व्यवसाय का संचालन करते हैं। उनके किसी भी भवन को पैतृक मकान नहीं माना जा सकता है, पुश्तैनी मकान नहीं माना जा सकता है। और यहाँ पर इस प्रकरण में जो पट्टा दिया गया है, वो मात्र एक भूखंड है। उस पर किसी तरह का मकान भी बना हुआ नहीं है। अतः यह दस्तावेजों से साबित होता है कि ग्राम पंचायत खमनोर ने जो एक सहकारी समिति को नियम 157 के तहत जो पट्टा जारी किया है, वह पूर्णतः विधि के प्रावधानों के विपरीत है। इस संबंध में अधिवक्ता रेस्पोंडेंट द्वारा यह तर्क किया गया कि श्री गुलाब जल इत्र उत्पादक सहकारी समिति, खमनोर जरिये श्री गोविंद राम जी पुरोहित को गोदाम व कारखाने के लिए प्लॉट दिनांक 31.01.1970 को अलॉट किया गया था। परंतु सहकारी समिति के पास में इसका पट्टा नहीं था, अतः वह इस पट्टे को निरस्त करा इस पट्टे के स्थान पर अन्य पट्टा ग्राम पंचायत से चाहा गया था।

हमने यहाँ पर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन किया, जिसमें ग्राम पंचायत की दिनांक 31.01.1970 की कार्रवाई विवरण भी सम्मिलित किया गया है। दिनांक 03.01.1971 को यह कार्रवाई विवरण लिखा गया है कि सहकारी समिति भी गवर्नमेंट की एक संस्था है, तो इसीलिए उस पर 20 गुना लगान लिया जाकर इसको 11 रुपये नजराने पर यह पट्टा दे दिया जाए। ग्राम पंचायत द्वारा तत्समय यह पट्टा किन नियमों, किन अधिनियमों के तहत दिया गया है, इसका कोई भी उल्लेख नहीं है। और न ही इस संबंध में कोई औपचारिक पट्टा जारी होना पाया जाता है। मात्र एक पर्चा याददाश्त नक्शा मौका दिनांक 14.12.1970 पत्रावली में संलग्न है, जिस पर पर्चा मौका अंकित किया गया है और यह लिखा गया है कि कोरम के आदेश से यह प्लॉट इनको दिया जाएगा। उसके पश्चात कोरम की बैठक नहीं की जाकर और पंचायत की बैठक दिनांक 03.01.1971 की जाकर और 11 रुपये के नजराने में यह प्लॉट दिए जाने का निर्णय लिया गया, पर कोई किसी तरह का पट्टा जारी नहीं किया गया। तो प्रथमतः तो वर्ष 1970 में जो इस समिति को पट्टा दिया गया, वह भी इसे एक सरकारी संस्था मानते हुए दिया गया, जबकि यह सरकारी संस्था न होकर एक सहकारी समिति थी। सहकारी समिति थी जो कि इत्र उत्पादकों की सहकारी समिति थी, जिन्होंने एक संस्था बनाई थी और उसे एक संस्था अधिनियम के तहत पंजीकृत मात्र कराया था। तो कोई भी सहकारी संस्था जो इस तरह का पंजीकरण करा लेती है, उसे सरकारी संस्था नहीं माना जा सकता तथा उसे मात्र नजराने पर भूखंड नहीं दिया जा सकता। वर्ष 1970 में जो ग्राम

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

पंचायत की कार्रवाई की गई, वह भी विधिक रूप से सही नहीं है। साथ ही, इसमें एक नोट सचिव द्वारा 27.01.1980 को यह अंकित किया गया कि इस पट्टे को समिति के आवेदन पर निरस्त कराया और उसके बदले उनको दूसरे प्लॉट का कब्जा दे दिया गया। यह स्पष्ट नोट हस्तलिखित अंकित था, जिसे कि अलग स्याही से वर्टिकल लाइनों से काटा गया है। अर्थात इसको देखकर भी यह प्रकट हुआ है कि जो वर्ष 1970 में पट्टा इत्र उत्पादक सहकारी समिति को दिया गया था, उसको भी सहकारी समिति ने निरस्त करा लिया। और अब इसी प्लॉट का पट्टा सहकारी समिति के अध्यक्ष बताते हुए श्री शिवलाल पिता मोहनलाल, जाति माली ने प्राप्त कर लिया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में कहीं भी संस्था के पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न नहीं है, तथा कहीं भी संस्था के पदाधिकारियों की सूची तक संलग्न नहीं है जिससे यह ज्ञात हो सके कि क्या इस संस्था का कोई पंजीकरण हुआ है और यदि हुआ भी है तो उसका वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, क्या इस संस्था के चुनाव सम्यक रूप से हुए हैं और उसके अध्यक्ष की सूचना सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समिति को दे दी गई है? इस तरह की कोई भी कार्रवाई अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। और यह सब नहीं होने के पश्चात मात्र शिवलाल जोशी के आवेदन करने पर नियम 157 के तहत ग्राम पंचायत खमनोर ने पुनः इस गुलाब जल इत्र उत्पादक समिति को नियम 157 के तहत पट्टा जारी कर दिया, जो पूर्णतः अवैधानिक कार्रवाई है। और इसके साथ ही, जहां यह पट्टा दिनांक 13.06.2018 को ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया और इसी भूखंड को गुलाब जल इत्र उत्पादक सहकारी समिति के में जरिये अध्यक्ष श्री शिवलाल पिता श्री मोहनलाल माली तथा मंत्री श्री सत्यनारायण पिता चुन्नीलाल जी ब्राह्मण के द्वारा रेस्पोंडेंट संख्या 4 व 5 को विक्रय कर दिया गया। अर्थात पट्टा प्राप्त करने के एक माह पश्चात ही इस भूमि का, इस भूखंड का बेचान कर दिया गया। तो यह इसी बात से इसमें स्पष्ट होता है कि चूंकि पूर्व में ग्राम पंचायत द्वारा किसी प्रकार का पट्टा जारी नहीं किया गया था, मात्र निर्णय लिया गया था, मौका पर्चा बनाया गया था, पर कोई भी पट्टा जारी नहीं किया गया थाय और जो निर्णय लिया गया था वह भी विधि के प्रावधानों के अनुरूप नहीं थाकृएक सहकारी संस्था को सरकारी संस्था मानते हुए निर्णय लिया गया था जो कि त्रुटिपूर्ण है। तो अब वर्तमान में इस समिति के तथाकथित अध्यक्ष श्री शिवलाल माली ने ग्राम पंचायत के सचिव व सरपंच के साथ मिलीभगत कर एक खाली भूखंड का पट्टा नियम 157 के तहत प्राप्त कर लिया, जबकि उस 1970 के कार्रवाई विवरण पर भी यह नोट लिखा हुआ था कि इस प्लॉट को समिति ने प्राप्त नहीं किया था तथा उसे निरस्त करा लिया था और दूसरा तलिया (प्लॉट) प्राप्त कर लिया था। तो यहाँ यह सभी तथ्य प्रकट करते हैं कि इस पूरे प्रकरण में एक आबादी के भूखंड को हड़पने की नीयत से सभी कार्रवाई ग्राम पंचायत की मिलीभगत से की गई है, जो कि अत्यंत ही खेद का विषय है। अतः उपरोक्त विवेचना अर्न्तगत निगरानी याचिका को स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को स्वीकार किया जाकर विवादित पट्टा दिनांक 13.06.2018 को एतदद्वारा निरस्त किया जाता है। तथा इस प्रकार अविधिपूर्ण और षडयंत्रपूर्वक कार्रवाई के लिए तत्समय पदस्थ ग्राम विकास अधिकारी के विरुद्ध राजस्थान सेवा नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने के भी आदेश दिए जाते हैं और तत्कालीन सरपंच, जिनके द्वारा यह कृत्य किया गया है, उनके विरुद्ध भी पंचायती राज अधिनियम के तहत कार्रवाई के प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजे जाने के आदेश भी प्रदान किए जाते हैं। निर्णय की प्रति विकास अधिकारी पंचायत समिति खमनोर तथा ग्राम पंचायत खमनोर को उनकी मूल पट्टा पत्रावली के साथ भिजवाई जायें।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 22.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद